उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि0,

(राज्य सरकार का उपक्रम)
बी0 2/2 विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ – 226010 दूरभाष संख्या – 0522–2308109
E-mail : upmahilaknigam@rediffmail.com

पत्रांक : 2643/91/म0क0नि0 दिनांक 26.2.11 2011

सेवा में ,

जन कल्याण परिषद
फरूखाबाद, फर्रुखाबाद

विषयः किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजनान्तर्गत दिनांक 17-2-11 को निगम कार्यालय में कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में संस्था प्रतिनिधि से हुई वार्ता एवं तत्क्रम में आप द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में आपकी संस्था को जनपद रमाबाई नगर की बाल विकास परियोजना रसूलाबाद में 30–30 किशोरियों को दो सत्रों में 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नांकित नियम व शर्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें ।

नियम व शर्तेः–

01 उपरोक्त सन्दर्भित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी से सम्पर्क कर प्रशिक्षण का स्थान, प्रशिक्षण ट्रेड्स, व लाभार्थियों की प्रमाणित सूची इत्यादि प्राप्त करते हुए कार्यक्रम आरम्भ कराकर 07 दिन के अन्दर निगम कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

02 प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा माननीय जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों की उपस्थिति में ही सम्पन्न करायें। यथासंभव उक्त के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करायें।

03 प्रारम्भ किए गये प्रशिक्षण का स्थान, समय व लाभार्थी की सूची इत्यादि बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निगम कार्यालय को एक–एक प्रति में अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा।

04 निर्धारित ट्रेड्स के अतिरिक्त संलग्नक–1 के अनुसार व्यावहारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच व्यय संलग्नक–1 में उल्लेखित मदवार ही किया जायेगा।

05 प्रशिक्षण स्थल पर योजना से सम्बन्धित बैनर लगाना होगा तथा लाभार्थियों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति रजिस्टर में अंकित की जायेगी यह पंजिका केन्द्र पर रखी जायेगी। क्रय की गयी सामाग्री, लाभार्थियों को प्राप्त करायी गयी सामाग्री, निर्मित सामाग्री का ब्योरा केन्द्र पर रखी गयी स्टाक रजिस्टर में अंकित की जायेगी यदि प्रशिक्षण के दौरान सामाग्री निर्मित होती है तो उसे लाभार्थियों में वितरित कराते हुए उनसे प्राप्ति ली जायेगी ।

06 कार्य समाप्ति उपरान्त प्रतिपूर्ति के समय बिल बाउचर अनिवार्य रुप से बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्रमाणन उपरान्त ही प्रस्तुत किये जायें, जिसके साथ उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति, स्टाक रजिस्टर की छायाप्रति, प्रशिक्षण केन्द्र पर वितरित की गयी सामाग्री सूची, प्रशिक्षण पाठ्यकम, मूल रूप में बिल बाउचर प्रशिक्षण तथा उद्घाटन , संचालन एवं समापन के

पर्याप्त फोटो एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की सत्यापन आख्या सहित प्रस्तुत करनी होगी।

07 प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा–निर्देश एवं अन्य सुझावों हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी से सम्पर्क बनाये रखे तथा यथा आवश्यक उनके सुझावों के अनुसार प्रशिक्षण संचालन करायें।

08 अभिप्रेरणा भत्ता का भुगतान संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष कराते हुए उनसे प्रमाण पत्र तथा प्रशिक्षण संचालन आख्या प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

09 प्रत्येक सत्र की प्रशिक्षण अवधि दो माह अथवा 60 दिवसीय होगी।

10 प्रशिक्षण कार्यकम में उपयोग होने वाली सामाग्री का कय वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जायेगा।

11 सम्पूर्ण प्रशिक्षण संचालन की दशा में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अधिकतम 1.10 लाख के अन्तर्गत व्यय किया जा सकेगा।

12 यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य बीच में छोड़ा जाता है तो संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(आई0पी0 कनौजिया)
महाप्रबन्धक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 , लखनऊ।
2. जिला कार्यकम अधिकारी, जनपद रमाबाईनगर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड रसूलाबाद जनपद रमाबाईनगर।

(आई0पी0 कनौजिया)
महाप्रबन्धक